पर्चा डिक्री

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सुखाराम पिण्डेल आरएएस

प्रकरण सं0 : 55/2019

अनवान :

1. औमप्रकाश पुत्र जयवीर जाति जाट निवासी महराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)

– वादी

बनाम

1. जयवीर पुत्र गुगनराम जाति जाट निवासी महराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ (राजस्थान)
2. गीता पुत्री जयवीर पत्नी सरजीत जाति जाट निवासी महराना हाल निवास ढाणी मोहब्बतपुर तहसील आदमपुर जिला हिसार (हरियाणा)
3. सावित्री पुत्री जयवीर पत्नी मेवासिंह जाति जाट निवासी महराना हाल निवास ढाणी मोहब्बतपुर तहसील आदमपुर जिला हिसार (हरियाणा)
4. समेस्ता पुत्री जयवीर पत्नी सुरेश जाति जाट निवासी महराना हाल निवासी खारिया डोभी तहसील व जिला हिसार (हरियाणा)
5. सुमित्रा पुत्री जयवीर पत्नी रमेश जाति जाट निवासी महराना हाल निवासी खारिया डोभी तहसील व जिला हिसार (हरियाणा)
6. राजस्थान सरकार जरिऐ लैण्ड होल्डर तहसीलदार भादरा।

– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सुखाराम पिण्डेल उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री मदनलाल कड़वासरा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि चक 4 एमआरएन के.खाता सं0 81/17 के मु0नं0 1 के किला नं0 15, 16, 17, 24, 25 कुल किता 5 की 1.2650 है0 नहरी, मु0नं0 2 के किला नं0 11 ता 20 कुल किता 10 की 2.530 है0 नहरी, कुल खसरा 15 का कुल क्षेत्रफल 3.7950 है नहरी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिससे जयवीर का 2/6 हिस्सा दर्ज है तथा चक 7 एमआरएन के खाता सं0 23/24 के मु0नं0 33 के किला नं0 10 की 0.0760 है0 नहरी मु0नं0 34 के किला नं0 6 ता 9, 12 ता 19, 22 ता 25 कुल किता 16 की 3.6560 है0 नहरी, कुल खसरा 17 का कुल क्षेत्रफल 3.7320 है0 नहरी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, जिसमें प्रतिवादी सं0 1 जयवीर का 1.278 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, जिसमें प्रतिवादी सं0 1 जयवीर का 1.278 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में अकेले प्रतिवादी सं0 1 जयवीर के बजाय वादी ओमप्रकाश व प्रतिवादी सं0 1 जयवीर दोनों बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। चूंकि वाद कृषि भूमि में से प्रतिवादिया सं0 2 ता 5 ने अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा वादी ओमप्रकाश व प्रतिवादी सं0 1 जयवीर के पक्ष में त्याग दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्सों पर पंजियन विभाग को पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त वादी ओमप्रकाश व प्रतिवादी सं0 1 जयवीर के नाम बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 11.06.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी भादरा जिला हनुमानगढ़ (राज0)

11.06.2019

(सुखाराम पिण्डेल)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़
भादरा, जिला हनुमानगढ़

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सुखाराम पिण्डेल आरएएस

प्रकरण सं0 : 55/2019

अनवान :

1. औमप्रकाश पुत्र जयवीर जाति जाट निवासी महराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)

– वादी

बनाम

1. जयवीर पुत्र गुगनराम जाति जाट निवासी महराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ (राजस्थान)
2. गीता पुत्री जयवीर पत्नी सरजीत जाति जाट निवासी महराना हाल निवास ढाणी मोहब्बतपुर तहसील आदमपुर जिला हिसार (हरियाणा)
3. सावित्री पुत्री जयवीर पत्नी मेवासिंह जाति जाट निवासी महराना हाल निवास ढाणी मोहब्बतपुर तहसील आदमपुर जिला हिसार (हरियाणा)
4. समेस्ता पुत्री जयवीर पत्नी सुरेश जाति जाट निवासी महराना हाल निवासी खारिया डोभी तहसील व जिला हिसार (हरियाणा)
5. सुमित्रा पुत्री जयवीर पत्नी रमेश जाति जाट निवासी महराना हाल निवासी खारिया डोभी तहसील व जिला हिसार (हरियाणा)
6. राजस्थान सरकार जरिऐ लैण्ड होल्डर तहसीलदार भादरा।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : इस्तकरार हक बर बिनाय सहादत हर किस्म

अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री मदनलाल कड़वासरा **: वादी**

निर्णय **दिनांक :** 11.06.2019

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि चक 4 एमआरएन के खाता सं0 81/17 के मु0नं0 1 के किला नं0 15, 16, 17, 24, 25 कुल किता 5 की 1.2650 है0 नहरी, मु0नं0 2 के किला नं0 11 ता 20 कुल किता 10 की 2.530 है0 नहरी, कुल खसरा 15 का कुल क्षेत्रफल 3.7950 है नहरी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिससे जयवीर का 2/6 हिस्सा दर्ज है तथा चक 7 एमआरएन के खाता सं0 23/24 के मु0नं0 33 के किला नं0 10 की 0.0760 है0 नहरी मु0नं0 34 के किला नं0 6 ता 9, 12 ता 19, 22 ता 25 कुल किता 16 की 3.6560 है0 नहरी, कुल खसरा 17 का कुल क्षेत्रफल 3.7320 है0 नहरी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, जिसमें प्रतिवादी सं0 1 जयवीर का 1.278 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, जिसमें प्रतिवादी सं0 1 जयवीर का 1.278 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उपरोक्त कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 जयवीर को अपने पिता गुगनराम से विरास्तन प्राप्त भूमि है। उक्त भूमि में वादी का जन्म से हक हिस्सा निहित है। गुगनराम की मृत्यु के पश्चात् प्रतिवादी सं0 1 कर्ता खानदान होने के कारण विरासतन अकेले के नाम भूमि दर्ज हो गई। जबकि वादी व प्रतिवादी सं0 1 का उक्त भूमि में बहिस्सा बराबर हक व हिस्सा निहित है।

11.6.19

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

प्रतिवादीगण सं0 2 ता 5 का विवाह हिन्दू रितिरिवाज के अनुसार काफी दान देकर के अच्छे घरों में की हुई है तथा उनको हर बार त्यौंहार पर वादी व प्रतिवादी सं0 1 अपने घरों में बुला करके काफी मान मनुहार करते है। इसलिए प्रतिवादी सं0 2 ता 5 ने अपना अपना हक व हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष में मौखिक तौर पर तर्क कर दिया था तथा अपना हिस्सा शुन्य कर लिया व कब्जा भूमि का वादी व प्रतिवादी सं0 1 को सम्भला दिया था तथा आज भी वादी व प्रतिवादी सं0 1 के कब्जा काश्त में है। फिर यदि प्रतिवादी सं0 2 ता 5 अपना हक हिस्सा लेना चाहे तो स्वतंत्र है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 5 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक सामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी सं0 6 पेरोकार राज ने जबाब दावा पेश किया।

साक्ष्य वादी में वादी ओमप्रकाश के बयान करवाए गए। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी चक 4 एमआरएन के खाता संख्या 81/17 सम्वत् 2071–74 की प्रदर्श 1, सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी चक 7 एमआरएन खाता सं0 23/24 सम्वत् 2073–76 प्रदर्श 2, प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी भूमि एकीकरण विभाग चक 4 महराना सम्वत् 2016 प्रदर्श 3, प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी भू–प्रबन्ध विभाग चक 7 महराना सम्वत् 2029 से 38 प्रदर्श 4, वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 5 प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने दावा के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 जयवीर को अपने पिता गुगनराम से विरास्तन प्राप्त भूमि है। वाद कृषि भूमि में वादी का भी जन्म से हक निहित है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा वकील अभिभाषक वादी की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत वाद में वादी ने चक 4 एमआरएन व 7 एमआरएन के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज कृषि भूमि मे अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वाद ने अपने दावा में वाद कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 जयवीर को अपने पिता गुगनराम से विरास्तन प्राप्त होना अंकित किया है जिसकी पुष्टि में वादी ने प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी भूमि एकीकरण विभाग चक 4 महराना सम्वत् 2016 प्रदर्श 3, प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी भू–प्रबन्ध विभाग चक 7 महराना सम्वत् 2029 से 38 प्रदर्श 4 प्रदर्शित करवाई है जिनमें वाद भूमि वादी के दादा गुगनराम वल्द हरलाल व पड़दादा हरलाल वल्द बस्तीराम के नाम दर्ज है जिससे वाद भूमि प्रतिवादी सं0 1 जयवीर को अपने पिता गुगनराम से विरास्तन प्राप्त होना व वाद भूमि पैत्रक कृषि भूमि होना साबित है एवं वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 5 में जयवीर के वारिसान में पत्नि सन्तो, चार पुत्रिया गीता, सावित्री, समेस्ता, सुमित्रा व एक पुत्र औमप्रकाश होना व इनके अलावा अन्य कोई वारिस नहीं होना अंकित है। इस प्रकार वाद वादी साबित है।

अतः वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि चक 4 एमआरएन के खाता सं0 81/17 के मु0नं0 1 के किला नं0 15, 16, 17, 24, 25 कुल किता 5 की 1.2650 है0 नहरी, मु0नं0 2 के किला नं0 11 ता 20 कुल किता 10 की 2.530 है0 नहरी, कुल खसरा 15 का कुल क्षेत्रफल 3.7950 है नहरी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिससे जयवीर का 2/6 हिस्सा

11.6.12
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
(जिला-हनुमानगढ़)

दर्ज है तथा चक 7 एमआरएन के खाता सं0 23/24 के मु0नं0 33 के किला नं0 10 की 0.0760 है0 नहरी मु0नं0 34 के किला नं0 6 ता 9, 12 ता 19, 22 ता 25 कुल किता 16 की 3.6560 है0 नहरी, कुल खसरा 17 का कुल क्षेत्रफल 3.7320 है0 नहरी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, जिसमें प्रतिवादी सं0 1 जयवीर का 1.278 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, जिसमें प्रतिवादी सं0 1 जयवीर का 1.278 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में अकेले प्रतिवादी सं0 1 जयवीर के बजाय वादी ओमप्रकाश व प्रतिवादी सं0 1 जयवीर दोनों बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। चूंकि वाद कृषि भूमि में से प्रतिवादिया सं0 2 ता 5 ने अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा वादी ओमप्रकाश व प्रतिवादी सं0 1 जयवीर के पक्ष में त्याग दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्सों पर पंजियन विभाग को पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त वादी ओमप्रकाश व प्रतिवादी सं0 1 जयवीर के नाम बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 11.06.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्डाधिकारी भादरा जिला हनुमानगढ़ (राज0)

11.06.19

(सुखाराम पिण्डेल)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
R.A.S.
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़